स्वच्छ इन्दौर, स्वस्थ इन्दौर

Smart City INDORE

#Indorefightscoronaviruss

Distribution of free ration to the needy poor people residing inside the municipal limits of Indore

(one of the best practices evolved at indore for COVID fight to ensure strict lockdown compliance)

यह राशन वितरण व्यवस्था इन्दौर शहर मे निवासरत 1.65 लाख गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारो के लिये, जिन्हें कंट्रोल की दुकानों से राशन मिलता है अर्थात अत्यंत गरीब परिवारों के लिये व्यवस्था की गयी है। यह व्यवस्था कलेक्टर इन्दौर के निर्देश पर दिनांक 29/03/2020 से प्रारंभ की गयी है। इस व्यवस्था के अंतर्गत निम्न दो गतिविधिया महत्वपूर्ण है :–

1. राशन वितरण हेतु किराने का सामान एकत्रित करना तथा इसका Combo Pack के रूप मे पेकेजिंग करना। यह व्यवस्था ओमनी मैरिज गार्डन मे की जा रही है।

2. उक्त बनाये गये **Combo Pack** का वार्ड–वाईज वास्तविक गरीब लोगों तक पहुचाना एवं वितरण कराना।

☞ उक्त दोनों बिन्दूओं के संबंध मे विवरण निम्नानुसार है :–

(अ) राशन वितरण हेतु जो **Combo Pack** तैयार किया जा रहा है उसमे 5–किलो आटा, 1 किलो दाल, 1 किलो चावल, 500 ग्राम शक्कर, 500 ग्राम नमक, 500 ग्राम तेल, 100 ग्राम मिर्च, 100 ग्राम हल्दी आदि सामग्री वितरण हेतु उपलब्ध कराई जा रही है।

(ब) उक्त राशन वितरण व्यवस्था हेतु गेहू एवं चावल शासन, (SDRF) से प्राप्त हो रहा है। प्राप्त गेहू को विभिन्न आटा मिलों मे भेजकर 5 किलो आटे के पैकेट तैयार करवाये जा रहे है। इसके

साथ ही जो चावल प्राप्त होता है उसके 1 किलो के पैकेट राशन वितरण स्थल (ओमनी गार्डन) मे तैयार किये जाते है। राशन की अन्य सामग्री तेल, दाल, शक्कर, नमक, मसाले आदि इन्दौर शहर के 100 से अधिक समाजसेवी, गणमान्य नागरिक, धार्मिक संस्थान, औद्योगिक संस्थान, व्यापारिक संस्थान एवं एन.जी.ओ. के माध्यम से प्राप्त हो रही है, जिसके राशन वितरण स्थल पर निर्धारित मात्रा के पैकेट तैयार कराये जाकर **Combo Pack** मे रखे जाते है।

राशन वितरण स्थल पर उक्त पैकेजिंग कार्य हेतु लगभग 21 घंटे निरंतर युद्धस्तर पर कार्य किया जा रहा है। उक्त कार्य हेतू नगर निगम सीमा क्षेत्र मे विभिन्न विकास कार्यो मे संलग्न मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा मे लगभग 500 मजदूरो को कार्य स्थल पर संलग्न किया गया है। कोविड–19 की गाईडलाईन को ध्यान मे रखते हुवें कार्य मे संलग्न मजदूरों को उनके निवास स्थल से कार्य स्थल तक ए.आय.सी.टी.एस.एल. की 10 बसों के माध्यम से रोजाना लाया जाता है एवं कार्य समाप्ति पर उनको उनके निवास पर भेजा जाता है। कार्यरत मजदूरों को प्रतिदिन भोजन व राशन के साथ ही 300 रू. प्रतिदिन दैनिक मजदूरी भी उपलब्ध कराई जा रही है। कार्यस्थल पर कोविड–19 की गाईडलाईन का पूर्णतः पालन किया जा रहा है।

फूड पेकेजिंग एवं वितरण केन्द्र

(2) राशन वितरण की व्यवस्था :– यह व्यवस्था दो प्रकार से सुनिश्चित की जा रही है।

(अ)

- विभिन्न चुने हुये जनप्रतिनीधियों के वार्डवाईज चुनिंदा व्यक्तियों के माध्यम से।
- कुछ चुनिंदा स्वंयसेवी संगठन, के माध्यम से किसी क्षेत्र विशेष या समाज विशेष मे वितरण करते है, विभिन्न धर्मगुरूओं द्वारा अपने समाज मे प्रमुख लोगों के द्वारा बनाये गये दलों के माध्यम से।

अर्थात इस वितरण व्यवस्था मे उक्त सभी श्रेणी के कम से कम सदस्यों को, कर्फ्यू पास दिये जाकर वितरण कराया जा रहा है। इस राशन वितरण को सभी 85 वार्डो में लगभग 2000 कर्फ्यू पास जारी किये गये है। इस श्रेणी के माध्यम से लगभग 99 प्रतिशत से अधिक गरीब लोगों को राशन उनके घर जाकर ही उपलब्ध कराया जा रहा है।

(ब) उक्त कंडिका (अ) मे उल्लेखित व्यवस्था के अंतर्गत यह हमेशा संभावना रहती है, कि कुछ जरूरतमंद गरीब व्यक्ति निःशुल्क राशन प्राप्त करने से वंचित रह जाये, इस कारण इन्दौर नगर पालिक निगम के द्वारा एक फूड कंट्रोल रूम स्थापित कर दुरभाष नम्बर आमजन मे दिया गया है। इस पर ऐसे वंचित लोगों की तरफ से शिकायतें प्राप्त होती है। यह कंट्रोल रूम (**State of Art**) 60 लाईन्स का है। इस कॉल सेंटर पर एक समय मे 60 व्यक्ति कॉल्स को रिसीव करते है तथा यह 24X7 घंटे चालू रहता है। यह कंट्रोल रूम जिस दिन से इन्दौर मे **Strict LockDown** लागू किया गया है (29 मार्च 2020), उसी दिन से प्रारंभ कर दिया गया था। दिनांक 30 मार्च 2020 से अब तक प्रतिदिन आने वाली मांगों की संख्या लगभग 9 हजार रहती है। जिसका कंट्रोल रूम पर कार्यरत अमले द्वारा विस्तृत परीक्षण किया जाकर वास्तविकता के आधार पर पात्र व्यक्तियों तक चयन किया जाता है। प्रतिदिन प्राप्त होने वाली शिकायत/माँग के आधार पर राशन वितरण की व्यवस्था की जाती है इस व्यवस्था से प्रतिदिन लाभांवित पात्र व्यक्तियों का विवरण निम्नानुसार है:–

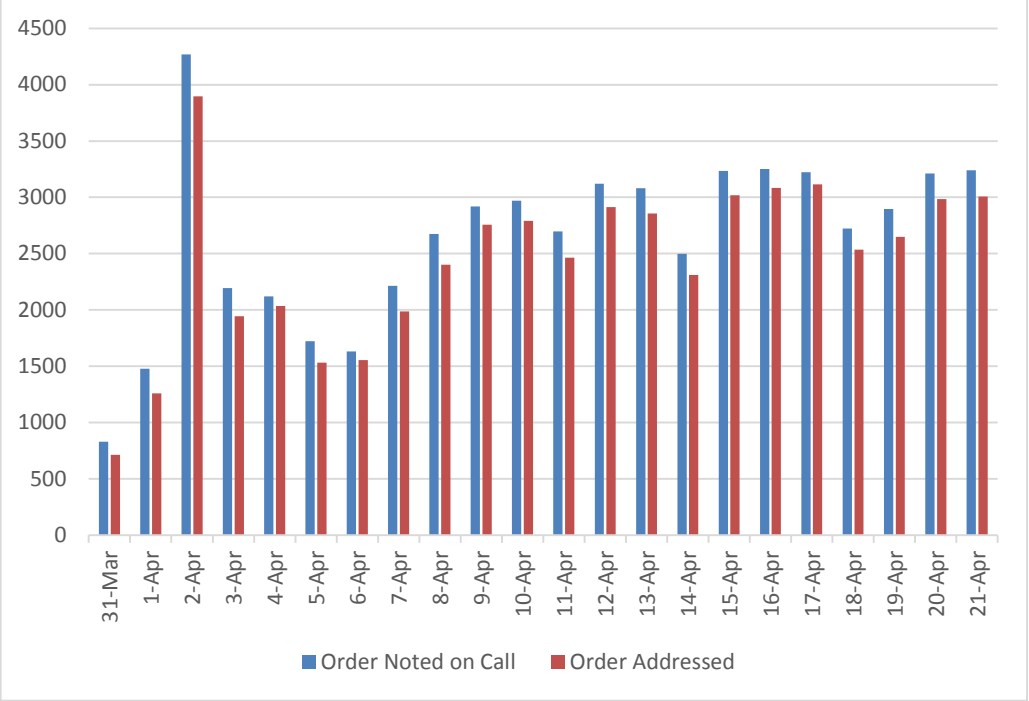

शिकायतों की तुलना में निराकरण की संख्या इस वजह से कम है, क्योंकि मौके पर जाने पर यह व्यक्ति या तो मौके पर नही पाये गये अथवा निःशुल्क राशन हेतु पात्र नही पाये गये।

(कॉल सेन्टर)

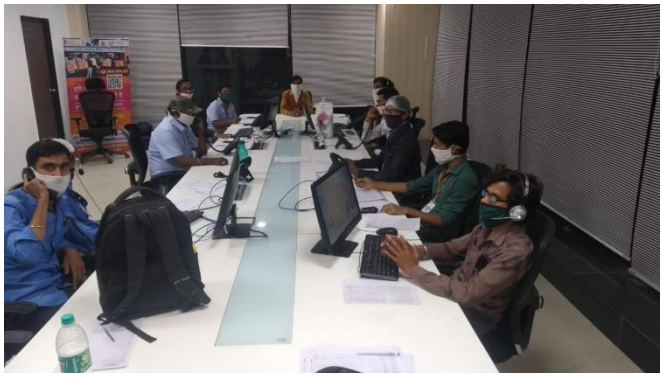

उक्त राशन वितरण व्यवस्था में नगर निगम के लगभग 300 अधिकारी/कर्मचारी (अपर आयुक्त, उपायुक्त, इंजीनियर, झोनल अधिकारी, सहायक राजस्व अधिकारी, बिल कलेक्टर इत्यादि) सलंग्न होने के साथ ही लगभग 150 छोटे एवं बडे वाहन कार्य कर रहे है। राशन की पैकेजिंग एवं वितरण हेतु लगभग 500 मजदूरों को संलग्न किया गया है। नगर निगम द्वारा प्रदाय किया जा रहा राशन एक सामान्य परिवार को लगभग 5 से 7 दिंवस की अवधि को पर्याप्त रहता है। इस प्रकार ऐसे पात्र

परिवारों को उक्त राशन वितरण व्यवस्था का 2 से 3 बार लाभ प्राप्त हो चुका है। दिनांक 30 मार्च 2020 से आज पर्यन्त लगभग 2.77 लाख राशन पैकेट वितरीत किये जा चूके है जिसका विवरण निम्नानुसार है।

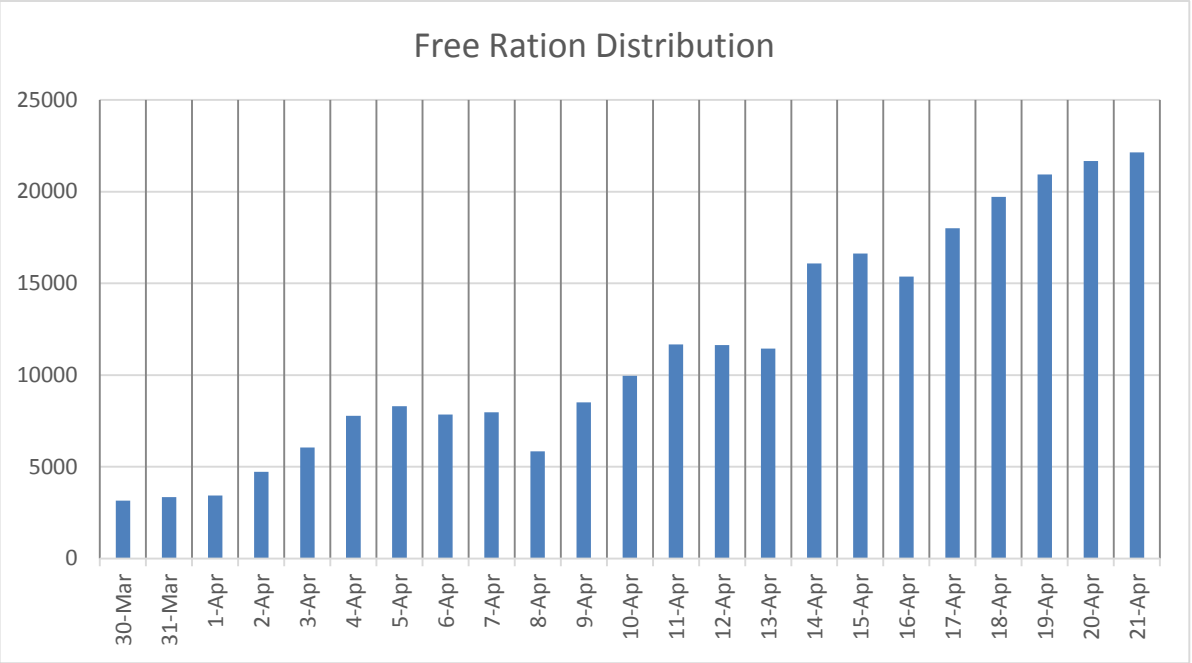

उल्लेखनीय है, कि सुखे राशन वितरण व्यवस्था के साथ ही नगर निगम द्वारा ऐसे परिवार/व्यक्तियों जिनके पास राशन पकाने की व्यवस्था नही है, उन्हें पका हुआ भोजन (फुड पैकेट) उपलब्ध कराया जा रहा है। इस व्यवस्था मे नगर के लगभग 15 स्वयंसेवी संस्थायें, समाजसेवी संस्थायें, व्यवसायिक एवं धार्मिक प्रतिष्ठान इत्यादि अपना योगदान देकर लगभग 45 हजार भोजन के पैकेट उपलब्ध करा रहे है। प्राप्त होने वाले भोजन पैकेट नगर निगम द्वारा लगभग 70 अधिकारी/कर्मचारी एवं 50 वाहनो के माध्यम से जरूरतमंद लोगों को वितरित किये जा रहे है।

दिनांक 30 मार्च 2020 से आज दिनांक तक लगभग 9.5 लाख भोजन पैकेट का वितरण किया जा चुका है।

नगर निगम इन्दौर द्वारा संचालित उक्त राशन वितरण व्यवस्था के माध्यम से लगभग 19 लाख लोगों को लाभांवित किया जा चुका है। उक्त व्यवस्था लॉकडाउन के क्रियान्वयन मे काफी कारगर एवं प्रभावी साबित हुई है।

#Stayhome #Staysafe

अपर आयुक्त
नगर पालिक निगम, इन्दौर